ANURAG
District Judge,
Kaimur at Bhabhua
Title Appeal No. 34 of 2016
Murari Singh Vs. Anil Kumar Singh & Ors.

न्यायालय – जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

स्वत्व अपील संख्या–34/2016

मुरारी सिंह ——— अपीलांट

बनाम्

अनिल कुमार सिंह बगैरह ——— विपक्षीगण

29.08.2024	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी दी गयी है। आवेदकगण विनोद कुमार सिंह एवं विनय सिंह अपने अधिवक्ता के अधिकार पत्र के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 धारा 151 का आवेदन व परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 9 धारा 151 के तहत आवेदन सशपथ दाखिल करते हैं। उनकी ओर से डाक रसीद की मूल प्रति भी दाखिल किया गया है। अभिलेख पर रखें। वाद पुकारा गया। पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदकगण की ओर से दाखिल उक्त तीनों आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद के मूल आवेदक मुरारी सिंह आवेदकगण के पिता थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.06.2022 को हो गयी है। प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद विविध वाद संख्या 95/17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2024 के आलोक में पुनर्जीवित हुआ है। विविध वाद संख्या 95/2017 में आवेदकगण अपने पिता के मृत्यु के बाद दिनांक 29.01.2024 को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित हो चुके है। अपीलकर्ता के मृत्यु के बाद प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद में उनके स्थान पर उनके विधिक उतराधिकारी उनके पुत्रगण विनोद कुमार सिंह एवं विनय सिंह को प्रतिस्थापित किया जान नितांत आवश्यक है। आवेदकगण प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में जानबुझकर विलम्ब कारित नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुआ

लगातार **29.08.2024**	विलम्ब माफी योग्य है। प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद में प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब के कारण उपशमन को न्यायहित में अपास्त किया जाना आवश्यक है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद में उपशमन को अपास्त कर प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद में आवेदकगण की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में हुए विलम्ब तथा प्रस्तुत स्वत्व अपील वाद में उद्भूत उपशमन को अपास्त करते हुए आवेदकगण की ओर से दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक 29.08.2024 को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिस्थापन आवेदन के आलोक में मूल मृत आवेदक मुरारी सिंह का नाम विलोपित करते हुए दोनों आवेदक का नाम स्वत्व अपील वाद में आवेदन के शीर्ष पृष्ठ पर दर्ज करें। अभिलेख दिनांक 12.09.2024 को प्रतिवादी के उपस्थिति व निम्न न्यायालय के अभिलेख की प्रतिक्षा में। ह0/— जिला न्यायाधीश